कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर जिला–सरगुजा

//विज्ञाप्ति//

क्रमांक– /नजारत /अपलेखन/ 2025 अम्बिकापुर दिनांक–30/07/2025

यह कि इस स्थापना पर नजारत अनुभाग अम्बिकापुर में उपलब्ध पुराने/अनुपयोगी लोहे एवं लकड़ी के फर्नीचर नीलामी जिला न्यायालय द्वारा अम्बिकापुर में दिनांक–03.08.2025 को समय दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक किया जाना है।

सामग्री जिस हालात में है या उनके संबंध में अन्य कोई विस्तृत जानकारी लेना हो तो अवकाश दिवसों को छोंड़ कर कार्यालयीन समय में जिला नाजिर अम्बिकापुर/ सहायक लेखापाल से ली जा सकती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न सूची अनुसार सामग्री नीलामी पर जो भी व्यक्ति नीलामी की शर्तों पर क्रय करने की इच्छुक हों वह कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर दिनांक–03.08.2025 को नीलामी में भाग ले सकते हैं।

इस संबंध में विवरण एवं सामाग्री की छायाचित्र जिला न्यायालय अम्बिकापुर की वेबसाईट https://surguja.dcourts.gov.in पर देखे जा सकते है।

नीलामी की शर्तें
(नीलामी दिनांक–03.08.2025 को समय दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक)

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर के जिला नजारत परिसर में उपलब्ध नीलामी योग्य सामग्री के संबंध में प्रतिभागी दिनांक–03.08.2025 को समय दोपहर 12:00 बजे के पूर्व 1000/–रूपये अर्नेस्ट मनी डी0डी0/नगद के रूप में जमा करने के उपरांत नीलामी की सहभागिता कर सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा उच्चतम बोली पर क्रय की गई सामग्री की राशि में से उक्त अर्नेस्ट मनी 1000/–रूपये समायोजित की जावेगी, शेष बोलीकर्ता को उक्त राशि का डी0डी0/नगद नजारत अनुभाग द्वारा वापस किया जावेगा।
2. अनुपयोगी सामग्री जिला न्यायालय अम्बिकापुर में कार्यालय समय में नीलामी दिनांक के पूर्व देखी जा सकती है।
3. उच्चतम बोली प्राप्त होने पर बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के पास सुरक्षित है।
4. नीलामी अस्वीकार किये जाने की स्थिति में कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
5. नीलामी स्वीकार करने पर क्रेता को बोली दिनांक को ही सम्पूर्ण क्रय राशि कराते हुए सामग्री को उठाना होगा अन्यथा अग्रीम अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा राशि राजसात की जावेगी।

6. बोलीकर्ता अभ्यर्थी को अधिकृत पहचान पत्र जैसे–आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड साथ में लाना अनिवार्य है।

7. अधिकतम राशि की बोली सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य किये जाने पर ही अंतिम होगी।

8. उपरोक्त सम्पूर्ण सामग्री बोलीकर्ता को एक साथ ही नीलामी की जावेगी। फुटकर बोली स्वीकार योग्य नहीं होगी।

9. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सरगुजा (अम्बिकापुर) के पास सुरक्षित रहेगा एवं न्याय क्षेत्र सिविल न्यायालय सरगुजा (अम्बिकापुर) होगा।

संलग्न :– सामग्री की सूची

अपलेखन/नीलामी/विनिष्टिकरण समिति
अम्बिकापुर एवं प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग अम्बिकापुर

पृ0क0 2824 /नजारत /अपलेखन/ 2025

अम्बिकापुर दिनांक– 30/07/2025

प्रतिलिपि :–

नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु :–

1. कलेक्टर कार्यालय, अम्बिकापुर (सरगुजा), नोटिस बोर्ड
2. पुलिस अधीक्षक, अम्बिकापुर (सरगुजा), नोटिस बोर्ड
3. लोक निर्माण विभाग, अम्बिकापुर (सरगुजा), नोटिस बोर्ड
4. नगरपालिका कार्यालय, अम्बिकापुर (सरगुजा), नोटिस बोर्ड
5. जिला चिकित्सालय, अम्बिकापुर (सरगुजा), नोटिस बोर्ड
6. जिला न्यायालय, अम्बिकापुर (सरगुजा), नोटिस बोर्ड
7. जनपद कार्यालय, अम्बिकापुर (सरगुजा), नोटिस बोर्ड
8. बस स्टैण्ड, अम्बिकापुर (सरगुजा), नोटिस बोर्ड
9. सतरस्ता चौराहा, अम्बिकापुर (सरगुजा), नोटिस बोर्ड
10. सहायक प्रोग्रामर की ओर जिला न्यायालय अम्बिकापुर (सरगुजा) की वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।
11. जनसंपर्क अधिकारी अम्बिकापुर (सरगुजा) की ओर प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु।

जिला नाजिर अम्बिकापुर (सरगुजा) की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड/सहज दृश्य स्थान पर सामग्री की नीलामी से संबंधित विज्ञप्ति अविलंब चस्पा करवायें।

अपलेखन/नीलामी/विनिष्टिकरण समिति
अम्बिकापुर एवं प्रभारी अधिकारी नजारत
अनुभाग अम्बिकापुर